

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2

कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

02
18/6/25

पत्रांक संख्या मान्यता (वे0)/ 3595-96 /मान्यता/2025-26/ दिनांक : 17 जून, 2025

सेवा में,

प्रबन्धक/व्यवस्थापक/अध्यक्ष,
एम.आर.बी.स्कूल,अम्बाड़ी,
जीवनगढ़, विकासनगर, देहरादून।

विषय :-

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उपनियम (5)
के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

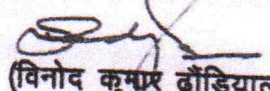
आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण में उप शिक्षा अधिकारी, विकासनगर द्वारा मान्यता संस्तुति के आलोक में आपके विद्यालय एम.आर.बी.स्कूल, अम्बाड़ी, जीवनगढ़, विकासनगर, देहरादून को प्री-प्राइमरी से कक्षा-8 तक की (अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु 05 वर्ष के लिए दिनांक 18.06.2025 से 18.06.2030 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी :-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा-8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी न्यूनतम कक्षा में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान/कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे-
 - (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;
 - (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - (पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;
 - (छ) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे; और
 - (सात) शिक्षक, निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा-
 - विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
 - कुल निर्मित क्षेत्र;
 - खेल के मैदान का क्षेत्र;
 - शिक्षा-कक्षों की कुल संख्या;
 - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय;
 - पेयजल की सुविधा;

Spamuli
PRINCIPAL
(SUDHA PAINULI)
MRB SCHOOL
VIKASNAGAR (D.DUN)

Prichan
Secretary

- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;
 - बाधा रहित पहुँच
 - शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियाँ हेतु किया जायेगा। इस भवन/संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
 13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत नियन्त्रित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिए संचालित नहीं होगा।
 15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1472 (ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 116473) है। इन कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
 17. राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर माँगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
 18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
 19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
 20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
 21. अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता पांच वर्ष के लिए की गयी है, उक्त अवधि समाप्त होने से पांच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र स्वयं विद्यालय/संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/संस्था का होगा।

भवदीय

 (विनोद कुमार बौडियाल)
 मुख्य शिक्षा अधिकारी,
 देहरादून।

पृ0सं0: मान्यता (वे0)/

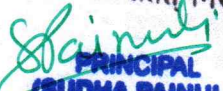
/मान्यता/2025-26

तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0/वे0), देहरादून।

3. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आर0टी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएँ विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएँ आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।

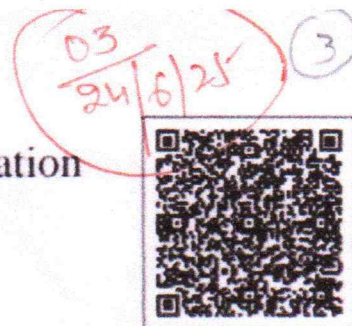

 PRINCIPAL
 (SUDHA PAINULI)
 MRB SCHOOL
 VIKASNAGAR (D.DUN)


 Secretary
 Madho R Bijalwan Education Society
 Bamanpura Line, Jeevandarh Vikasnagar
 Dehradun

(विनोद कुमार बौडियाल)
 मुख्य शिक्षा अधिकारी
 देहरादून।



Department of Elementary Education
Govt. of Uttarakhand



APPENDIX-TWO

FORM-2(a)

SEE RULE 17(A) OF THE RIGHT OF CHILDREN TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION
(AMENDMENT) RULES, 2013

Email : deo.dehradun.dir@gmail.com

Phone Number : 0135-2787028

Fax Number : 0135-2787028

OFFICE OF CHIEF EDUCATION OFFICER Dehradun, Uttarakhand
Letter No : 3595-98

Dated : 23-06-2025

To,

The Manager,
MRB SCHOOL, JEEVANGARH
Dehradun, Vikas Nagar, VIKASNAGAR, Pin-Code: 248125

Sub: Regarding issue of compliance certificate of prescribed norms and standard of the schedule of RTE Act under Rule 17(A) of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2013 for the purpose of section- 19(2) of Right of Children to Free and Compulsory Education Act,2009.

Dear Sir/Madam,

With reference to your school's declaration form received on dated 23-06-2025 I Convey the compliance certificate for prescribed norms and standards of schedule of the Act under SECTION-19(2) of the Act to your school MRB SCHOOL, JEEVANGARH, Dehradun, Vikas Nagar, Pin-Code: 248125. The registration/recognition number of your school is RTE116473 in District Dehradun. This registration/recognition is for the period from 23-06-2025 to 23-06-2030 class Class I to Class VIII in English medium. if prescribed norms and standards of schedule of the Act are violated in future, then action shall be taken for the withdrawal of recognition/no objection certificate according to rule-18 of Uttarakhand Right to Education rules,2011.

Sudha Painuli
PRINCIPAL
(SUDHA PAINULI)
MRB SCHOOL
VIKASNAGAR (D.DUN)

Madho R Bijalwan
Secretary
Madho R Bijalwan Education Society
Bamanpura Line Jeevanganh Vikasnagar
Dehradun

Your's faithfully,
Chief Education Officer
District Dehradun
Uttarakhand

*This is system generated certificate no signature required.